



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
 कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
KRISHI BHAWAN, Dr. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001

फा.सं.रा.भा.2(1)/2018-हिन्दी

दिनांक 29 जून, 2018

परिपत्र

महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को आयोजित की गई परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में परिषद मुख्यालय के अधीनस्थ संस्थानों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों तथा प्रभारियों को राजभाषा कार्यान्वयन में अधिक जागरूक तथा सक्षम बनाने के लिए दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन केन्द्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में दिनांक 24-25 अप्रैल, 2018 को किया गया जिसमें विभिन्न वैचारिक सत्रों में विचार-विमर्श के पश्चात् राजभाषा के कारगर कार्यान्वयन के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

1. भा.कृ.अ.प. एवं संबद्ध संस्थानों में राजभाषा के प्रभारी/अधिकारियों को राजभाषा प्रबंधक के रूप में कार्य करना चाहिए और उनकी भूमिका प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण को साथ लेकर कार्य करने एवं प्रेरणा-प्रोत्साहन के अनुरूप होनी चाहिए।
2. राजभाषा अधिकारियों को अद्यतन प्रशासनिक नियमों की जानकारी के माध्यम से प्रोन्नति, पद सृजन एवं हस्तांतरण, केन्द्रीय सेवा नियमों में नए संशोधनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि किसी नियम की अनभिज्ञता गलती का कारण नहीं बताया जा सकता है।
3. राजभाषा अधिकारियों को भा.कृ.अ.प. में प्रयोग की जा रही नवीन प्रणालियों जैसे PFMS, FMS, GeM (जैम) आदि की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि प्रभाग से संबंधित सभी वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके।
4. परिषद सहित संस्थानों में कार्यरत समस्त राजभाषा अधिकारियों को अनुवाद, पुनरीक्षण सहित राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए।
5. संस्थानों में संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण होने पर सभी आंकड़े एकत्रित कर प्रश्नावली को भरने का कार्य राजभाषा अधिकारी का है। अतः इस प्रकार के निरीक्षणों के महत्व एवं गम्भीरता के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना तथा इसके लिए हमेशा तत्पर रहना आवश्यक है।
6. कार्यालय में हिन्दी में कार्य करने के लिए विभिन्न नवीन ऐप से प्रतिभागियों को जागरूक कराना एवं आने वाले समय में राजभाषा प्रभाग, भा.कृ.अ.प. मुख्यालय को सभी संस्थानों के प्रमुखों एवं हिन्दी प्रकोष्ठों से ई-मेल, ई-टूल्स, सोशल मिडिया से जोड़ा जाना चाहिए। अतः प्रत्येक संस्थान द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं तिमाही बैठक की रिपोर्ट को उनके हिन्दी अनुभाग के अधिकृत ई-मेल से भी मुख्यालय को प्रेषित करना अपेक्षित है।
7. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में ई-ऑफिस के सफल कार्यान्वयन के बाद इसे संस्थानों में भी लागू करने के अपेक्षित निर्णय के अनुसार संस्थानों में राजभाषा से संबंधित कार्यालयी कार्य को डिजिटल एवं पेपरलेस करने का अधिकतम प्रयास किया जाना चाहिए।

कृपया उपर्युक्त मदों पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर इस संबंध में की गई कार्रवाई से परिषद को भी अवगत कराएं।

सीमा चौपड़ा
(सीमा चौपड़ा) 29.6.18

निदेशक (राजभाषा)

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक
2. परियोजना निदेशक, डीकेएमए, पूसा, नई दिल्ली आईसीएआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।